



## गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 क्रमांक 25, 2009 के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

☎ 07752-260003, 260000(Fax) website: www.ggu.ac.in

क्रमांक: 2245/गोपनीय/2013

बिलासपुर, दिनांक:

25 MAR 2013

### ::आदेश::

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सम एवं विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ दिखाए जाने के उपरांत संबंधित परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र में प्राप्तांक से असहमत/मूल्यांकन से असंतुष्ट परीक्षार्थियों के आवेदनों के निराकरण हेतु प्रत्येक विभाग के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाती है -

1. संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता — अध्यक्ष
2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य
3. संबंधित विषय का अध्यापन करने वाले अध्यापक — सदस्य
4. उपलब्ध होने की स्थिति में उस विषय का अध्यापन कर सकने वाला विभाग का अन्य अध्यापक — सदस्य

समिति अपना प्रतिवेदन परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत करेगी।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक:

25 MAR 2013

पृ.क्रमांक: 2246/गोपनीय/2013

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर माननीय कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

गोपनीय प्रभारी

# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क 25 अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

कोनी , बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष: 07752-260049 . फ़ैक्स: 07752-260240

वेबसाईट: www.ggu.ac.in

# Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central University Act, 2009 no. 25 of 2009)

Koni, Bilaspur- 495009 (C.G.)

Phone: 07752-260049, Fax: 07752- 260240

Website : www.ggu.ac.in



क्रमांक / 1504 / गोप. / 2014,

बिलासपुर, दिनांक- 31 DEC 2014

// आदेश //

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16/12/2014 को विभागाध्यक्षों की हुई बैठक में लिए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दिखाए जाने के उपरांत संबंधित परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र में प्राप्तांक से असहमत/मूल्यांकन से असंतुष्ट परीक्षार्थियों के आवेदनों के निराकरण हेतु प्रत्येक विभाग के लिए आदेश क्रमांक 2245/गोपनीय/13 दिनांक 25/3/2013 द्वारा गठित समिति में संशोधन करते हुए निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

1/	संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता	-	अध्यक्ष
2/	संबंधित विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
3/	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ	-	सदस्य

समिति अपना प्रतिवेदन परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत करेगी ।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक(कार्यवाहक)

पृ.क्रमांक 1505 / गोप. / 2014,

बिलासपुर, दिनांक- 31 DEC 2014

प्रतिलिपि:-

- 1/ कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।
- 2/ समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3/ समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहायक कुलसचिव(गोपनीय)